EXTRA CLASS

For B.Com (Sem) III Students; Date: 06-05-2020 | Pg 01

Ques— भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व का उल्लेख कीजिए।

Ans— लघु उद्योग (Small Scale Enterprises)

2 अक्टूबर 2006 प्रभावी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के लिए उद्यमों की अवधारणा छोटे एवं मध्यम उद्यमों के एकीकरण के लिए पहली बार ही पूर्ण कानूनी ढांचा निहित करता है। अधिनियम के अन्तर्गत उद्यमों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—

विनिर्माण उद्योग — (क) सूक्ष्म लघु उद्योग — ₹25 लाख तक निवेश, (ख) लघु उद्यम — निवेश ₹25 लाख से अधिक और ₹5 करोड़ तक, (ग) मध्यम उद्यम — निवेश 5 करोड़ से अधिक और ₹10 करोड़ तक।

सेवा उद्योग — (क) सूक्ष्म उद्यम — निवेश ₹10 लाख तक, (ख) लघु उद्योग — निवेश ₹10 लाख से अधिक और ₹2 करोड़ तक, (ग) मध्यम उद्योग — निवेश 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक।

कुटीर उद्योग (Cottage Industries)

कुटीर उद्योग वे हैं जो पूर्णतः या मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से या तो पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाये जाते हों जिनमें परम्परागत तकनीकी या मशीन मात्र की प्रयोग होता हो जिनमें प्रायः स्थानीय बाजारों में बिक्री के लिए माल तैयार किया जाता है।

उपर्युक्त परिभाषा से कुटीर उद्योग की निम्नलिखित विशेषताओं का आभास होता है।—

1. ये उद्योग पूर्णतः या मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाये जाते हैं
2. ये पूर्णकालिक या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाये जाते हैं
3. इन उद्योगों में प्रायः परम्परागत विधियों से परम्परागत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है।
4. इनमें स्थानीय कच्चे माल और कुशलता का प्रयोग होता है।
5. इनमें प्रायः स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।
6. कुटीर उद्योगों में सूत कातना, बीड़ी बनाना, रस्सी और चटाई बनाना, रंगाई और छपाई, हस्तशिल्प आदि को शामिल किया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्व

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर व लघु उद्योगों का विशेष महत्व है। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शब्दों में,

B.Com (Hons) Students; [illegible] ~~[illegible]~~

[illegible] [illegible] [illegible]

भारत गांवों का देश है। [illegible] [illegible] [illegible] व्यवस्था की [illegible] कुटीर तथा छोटे [illegible] [illegible] को [illegible] महत्व देना चाहिए।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] करने का [illegible] [illegible] कार्य के [illegible] में वृद्धि करना चाहिए।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] करने का [illegible] कार्य के [illegible] में वृद्धि करना [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] का निर्माण करते हैं।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] का [illegible] करते कुटीर उद्योग [illegible] [illegible] [illegible] में, कुटीर एवं लघु उद्योगों [illegible] के निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं—

1, पूंजी संबंधी तर्क— भारत जैसे [illegible] देश में [illegible] [illegible] [illegible] मात्रा में है। और पूंजी की कमी है, [illegible] कुटीर तथा लघु उद्योग की [illegible] [illegible] है। अतः [illegible] के देश में बेकारी की समस्या के समाधान के लिए कुटीर और लघु उद्योगों का विकास होना चाहिए।

~~(2) आर्थिक समानता का तर्क— लघु तथा कुटीर उद्योग [illegible] [illegible] [illegible] उद्योग में छोटे-छोटे [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पर [illegible] जाते हैं। उद्योग में आर्थिक शोषण भी [illegible] नहीं होता [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उद्योग या शोषण जैसी सामाजिक [illegible] [illegible] सामाजिक समानता लघु उद्योग [illegible] [illegible] [illegible] लघु [illegible] उद्योगों में [illegible] नहीं होती है।~~

(2) आर्थिक विषमता का अभाव— लघु तथा कुटीर उद्योग [illegible] समान वितरण में भी सहायक होते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग छोटे-छोटे मशीनों पर चलाये जाते हैं। औद्योगिक में आर्थिक शोषण भी सम्भव नहीं पाता। अतः कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ से आर्थिक का विकेन्द्रीकरण तथा शोषण जैसी सामाजिक समस्याएं लघु उद्योगों में उपस्थित नहीं होते हैं।

(P.T.O)

Scanned with CamScanner